अपील संख्या 133/2025

तारीख हुक्म	अखाराम वगैरह बनाम गजाराम वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.04.2026	पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्षकारान द्वारा असालतन व वकालतन न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया एवं उभयपक्षकारान द्वारा निष्पादित व हस्ताक्षरित आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसे उभयपक्षकारान को पढ़कर सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार किया एवं इस पर हस्ताक्षर किए। हमने राजीनामा का अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में वादी को 06 बीघा खातेदारी अधिकार घोषित किए गये थे। जिसे वो सहमति से द्वितीय पक्ष अर्थात प्रतिवादी मूला के कायम मुकाम वारिसान रूपाराम वगैरह के हक में सुपुर्द कर रहे है तथा सेटलमेंट कार्यवाही को सही होना स्वीकार कर रहे है। अतः स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किए जाने बाबत् सहमति जाहिर की है। अतः प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाही व विवेचन अपेक्षित नहीं है। अतः अपील में लिए गए अन्य उजरात व बिंदुओं पर कोई विवेचन व निर्णयन अपेक्षित नहीं होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर मुताबिक राजीनामा निस्तारण किये जाने पर उभयपक्ष सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2012 बअनवान गजा बनाम मूला के कायम मुकाम रूपाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2021 को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा। **आदेश** अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उभयपक्षकारान द्वारा निष्पादित व प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2012 बअनवान गजा बनाम मूला के कायम मुकाम रूपाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2021 को अपास्त किया जाता है। राजीनामा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। (डॉ0 भास्कर बिश्नोई) **राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली**	